भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 777
दिनांक 23 जुलाई, 2026

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आपूर्ति की सुरक्षा

†777. **श्री दामोदर अग्रवालः**
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्रीमती रचना बनर्जीः
श्री शंकर लालवानीः
श्री विजय बघेलः
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः
श्री चंदन चौहानः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पश्चिम एशिया में हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और देश की ऊर्जा सुरक्षा पर उनके संभावित प्रभाव को देखते हुए भारत की कच्चे तेल, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और पेट्रोलियम उत्पादों की आयात रणनीति की समीक्षा और आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी स्थितियों के दौरान देशभर में कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए तात्कालिक और आकस्मिक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा आयात स्रोतों में विविधता लाने और देश के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों (एसपीआर) को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति तैयार की है, जिसमें आयात स्रोतों का विविधीकरण, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों (एसपीआर) का विस्तार, घरेलू उत्पादन, वैकल्पिक ऊर्जा और ऊर्जा आपूर्ति शृंखला के लचीलेपन को सुदृढ़ करना जैसे उपाय शामिल हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कार्ययोजना क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (ड.) ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आपूर्ति जोखिमों को कम करने के लिए सरकार लगातार उन व्यवधानों की निगरानी और आकलन करती है, जिनसे ऊर्जा आपूर्ति में संभावित व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आपूर्ति जोखिमों को कम करने के लिए अपने कच्चे तेल के स्रोतों के पोर्टफोलियो को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देश कर दिया है। इसी तरह, एलएनजी की सोर्सिंग 6 देशों से बढ़कर 15 देश हो गई है। इस विविधीकरण ने किसी विशेष देश, क्षेत्र या ट्रांसिट रूट पर निर्भरता को कम किया है और आपूर्ति व्यवधानों तथा बाजार की अस्थिरता को प्रबंधित करने की भारत की क्षमता को बढ़ाया है। सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श कर, वैश्विक आपूर्ति स्थितियों का लगातार आकलन करती है और कच्चे तेल, एलएनजी और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करती है।

सरकार ने इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (आईएसपीआरएल) नामक एक विशेष प्रयोजनार्थ कंपनी के माध्यम से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 3 स्थानों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल की कुल क्षमता वाले स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (एसपीआर) सुविधाएं स्थापित की हैं, जो अल्पकालिक आपूर्ति व्यवधानों के लिए एक बफर के रूप में कार्य कर सकते हैं। सरकार ने जुलाई 2021 में, ओडिशा और कर्नाटक में 6.5 एमएमटी की कुल भंडारण क्षमता वाली दो अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह- स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी थी।

सरकार ने कच्चे तेल की आयात निर्भरता को कम करने के लिए बहुआयामी कार्यनीति भी अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए पूरे देश में ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर मांग प्रतिस्थापन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी), इथेनॉल, संपीड़ित बायोगैस और बायोडीजल जैसे वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना, रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना, विभिन्न नीतियों और पहलों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास आदि शामिल हैं। ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (एसएटीएटी) पहल भी शुरू की गई है।

इसके अलावा, सरकार घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने और कच्चे तेल की आयात निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत नीति, 2014।
ii. खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015।
iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016।
iv. पीएससी के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017।
v. कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017।
vi. राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी की स्थापना, 2017।
vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी बेसिनों में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।
viii. पूर्व-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (प्री-एनईएलपी), 2016 और 2017 के तहत खोजे गए लघु क्षेत्र और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पीएससी के विस्तार हेतु नीतिगत ढांचा।
ix. तेल और गैस के लिए उन्नत वसूली विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए नीति, 2018।
x. मौजूदा उत्पादन साझेदारी संविदा (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत अपारंपरिक हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा।
xi. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020।
xii. कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और श्रेणी II और III बेसिनों के तहत ओएएलपी ब्लॉकों में चरण-1 में कोई वेधन प्रतिबद्धता नहीं जिससे बोलीदाताओं को आकर्षित किया जा सके।
xiii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र को मुक्त करना, जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध थे।
xiv. सरकार भूमि पर और अपतटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण और भारतीय तलछटी बेसिनों के गुणवत्तापूर्ण डेटा को बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध कराने के लिए स्ट्रेटिग्राफीक कूपों के वेधन के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से अलग भूमि पर 20,000 एलकेएम और अपतटीय क्षेत्र में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त 2डी भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
